

FORM NO. III

फर्द अहकाम
नियम 25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (अलवर)

कैलाश पुत्र श्री रामरवरूप जाति ब्राह्मण निवासी कायसा तह0 नीमराना

बनाम


अशोक कुमार पुत्र चतुर्गज जाति ब्राह्मण निवासी कायसा तह0 नीमराना

किरम मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट

न0 21

सन 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	<p>19.01.2024 आज यह पत्रावली मूल वादपत्र के साथ पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित आये। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रकरण पृथम दृष्टया बनता है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा चन्द्रोजा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 471 रकबा 0.34 वाके ग्राम कायसा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली व बहरोड़ राजस्थान के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करे। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से तलब हो। प्रार्थी यदि आगामी तिथि से पूर्व यदि रजिस्टर्ड तलवाना पेश करने में यदि विफल रहते है तो उक्त आदेश स्वतं अपास्त माना जावेगा। प्रार्थी के वकील रजिस्टर्ड तलवाना पेश करें। पत्रावली बाद रजिस्टर्ड तलबी दिनांक 26.02.2024 को पेश हो।</p>	


उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 25)

मुकाम

बनाम

नं०

सन्

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामिल में जारी हुए

8.2.24 मास मई पत्रकारों मुख
वद क लाग पर डूरी मुख वद
गोरे प्रेस क वकालि से मुक
दो कत, प्रवक्त गो दनी
संग पर हक कर गोरे प्रेस
में रगालि विहा जाता ही
पत्रकारों केल ल मुकाल इमे
संलग्न मुख वद रहे

उपस्यण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)